सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 579
11/08/2018

प्रेस नोट

पटना, 11 अगस्त, 2018 ::– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सभी सरकारी योजनाओं की धरातल पर वरीय पदाधिकारियों द्वारा जाँच किये जाने के निर्देश के पश्चात क्षेत्रीय कार्यालयों की जाँच की श्रृंखला में बिहार राज्य की सभी काराओं में दिनांक 11.08.2018 को 10:00 बजे पूर्वाहन में मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया।

2. केन्द्रीय कारा एवं मंडल कारा में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तथा उपकारा में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में सघन तलाशी ली गयी।

3. इस विशेष निरीक्षण अभियान का उद्देश्य कारा के भीतर प्रतिबंधित सामग्री की तलाशी, कारा अस्पताल में भर्ती बंदी मरीजों के औचित्य को देखना, कारा सुरक्षा की सघन समीक्षा करना था।

4. इस तलाशी अभियान में सभी कक्षों की सघन तलाशी के साथ ही पूरे कारा परिसर एवं कारा अस्पतालों का भी निरीक्षण किया गया। अधिकांश काराओं से कोई भी उल्लेखनीय सामग्री बरामद नहीं हुई है।

4. तलाशी के क्रम में मुख्यतः मंडल कारा, मधुबनी से 33, मंडल कारा, बेतिया से 16, मंडल कारा, मुंगेर से 14, शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर से 12 और मंडल कारा, कटिहार से 11 मोबाईल सहित अन्य सभी काराओं से कुल 135–मोबाईल, 74–मोबाईल चार्जर, 20–सिम कार्ड, 323 पुरिया 500 ग्राम–खैनी, 495 ग्राम एवं 9 पुरिया–गांजा, 52 पीस–चाकू, 500 एम.एल.–शराब एवं 42000/–(बियालीस हजार रुपये) नकद राशि एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी हुई है।

5. प्रतिबंधित सामग्रियों के कारा में प्रवेश के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिस बंदियों के पास से प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी हुई है, उसपर भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

————————